न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 91/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र श्री मोतीलाल कलाल निवासी केलवाड़ा ग्राम पंचायत केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां
2. ग्राम पंचायत केलवाड़ा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, शाहाबाद जिला बारां (राज.)

(गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री आलोक गोयल अभिभाषक **(गैर निगराकार कम 1)**

निर्णय दिनांक 04.08.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 25.03.2004 को आबादी भूमि का पट्टा कमांक 826 साइज 185X35 कुल क्षेत्रफल 6475 वर्गफीट का गैर निगराकार कम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टा मकानों का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान बना होना नहीं पाया है। ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध मनमाने तरीके से पट्टा जारी किया है और राजकोष को हानि पहुंचाई है। ग्राम पंचायत केलवाड़ा की ऑडिट निरीक्षक रिपोर्ट 2003–04 में उक्त बाबत आक्षेप गठित किया गया था जिसकी जांच विकास अधिकारी व लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां द्वारा की गई थी। इस जांच में भी गैर निगराकार को जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्ध पाया गया है और गैर निगराकार से मुताबिक डीएलसी दर 64500/– रूपये वसूली योग्य पाये गये हैं जो भी गैर निगराकार द्वारा जमा नहीं करवाये गये हैं। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में दिनांक 25.03.2004 को जारी पट्टा संख्या 826 निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार कम 1 जर्ये अभिभाषक तथा आशार्थी कम 2 जर्ये प्रतिनिधि उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार कम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। तथा अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:34 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष उपस्थित अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार कम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा मकानों का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के

जिला कलक्टर बारां (राज०)

जारी करना दर्शाते हुए पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाकर कोष को हानि पहुंचाई है। गैर निगराकार को अन्तर राशि जमा कराये जाने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी गैर निगराकार द्वारा अन्तर राशि जमा नहीं करवाई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 826 दिनांक 25.03.2004 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था जिसके विरूद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। पट्टा किस जगह का जारी किया गया है यह पट्टे में दर्ज नहीं है। गैर निगराकार क्रम 1 का मकान पट्टा जारी किये जाने के पूर्व से बना हुआ है। प्रस्तुत निगरानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो गैर निगराकार क्रम 1 व उसका परिवार बेघर हो जायेगें। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिबीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11006/2012 बउनवान Nagar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 57/2020 बउनवान Khusal Singh Vs. State Of Rajasthan & Ors में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 की छायाप्रतियां पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना भी प्रस्तुत विधिक दृष्टांत से स्पष्ट है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को निर्मित मकान का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के तहत उक्त पट्टा जारी किया गया है जबकि मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट मौके पर भूमि खाली पड़ी थी। तथा नियम 158 के तहत भी निर्धारित सीमा 150 वर्गगज भूमि से अधिक भूमि पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्ध जारी किया गया है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैरनिगराकार क्रम–1 श्री सुरेशचन्द पुत्र मोतीलाल कलाल को जारी पट्टा क्रमांक 826 दिनांक 25.03.2004 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखवाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)